International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 4; July 2018; Page No. 17-20

सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का एक अध्ययन

डॉ0 मृगेन्द्र सिंह परिहार
प्राचार्य – शिक्षा महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का एक अध्ययन पर आधारित है। शोध क्षेत्र में समस्या की वास्तविक स्थिति से तात्पर्य यह है कि शोधार्थी द्वारा चिन्हांकित समस्या का स्वरूप किस तरह का है? वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में भी भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तरह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश राज्य नियम 2011 के अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो पूर्व में गठित पालक शिक्षक संघ का स्थान लिया है। शाला प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र लगभग वही है जो पालक शिक्षक संघ के थे। सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्रगति पर है।

मूल शब्द : सीधी जिला, सीधी विकासखण्ड, शाला प्रबंधन समिति एवं शैक्षिक विकास।

1. प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा को गाँधी जी की सबसे बड़ी देन बेसिक शिक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने शिक्षा विषयक विचारों को देश के सम्मुख रखने का प्रयास किया। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रणाली में निहित लक्ष्य देश की आवश्यकता के अनुरूप थे और इसमें प्रचलित पाठ्यक्रम बहुत व्यापक न हो सकी। भारत की सामाजिक व्यवस्था में कार्यानुभव, क्रिया केन्द्रित शिक्षा, समाजोपयोगी उत्पादक क्रिया आदि को समुचित स्थान प्राप्त होगा। इन सबके मूल में भारतीय परिस्थिति में बुनियादी शिक्षा की उपेक्षा वैचारिक दृष्टि से नहीं हो सकती।

'शिक्षा' शब्द को सभी प्रयोग करते हैं और उसमें हस्तक्षेप करते हैं। इस प्रकार शिक्षा को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रथम जन साधारण की दृष्टि से शिक्षा का अर्थ तथा द्वितीय शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा का अर्थ विशिष्ट है। सामान्य रूप से शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं और सभी विषयों के अध्ययन, अध्यापन को शिक्षा कहते हैं।

शिक्षा, आजीवन चलने वाली एक ऐसी गत्यात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मानव निरन्तर सीखता हुआ ज्ञानार्जन करता रहता है, जिसके अभाव में विकास तथा प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। अस्तु, निजी उन्नति के लिए, पारिवारिक सुख–समृद्धि के लिए, व्यावसायिक प्रगति के लिए, सामाजिक–नागरिक–नैतिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के स्वस्थ सन्तुलन के लिए शिक्षा की जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त अनिवार्य आवश्यकता है। जॉन डीवी का यह कथन है– ''जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का'', इसी महत्व को प्रतिपादित करता है। शिक्षा का यह महत्व मानव–जीवन में आदिकाल से रहा है और सदैव रहेगा। ज्ञानार्जन का यह प्रक्रम रूपों में प्रवाहित रहता है। शिक्षा–मानव की प्रथम साँस से अन्तिम साँस तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। वस्तुतः शिक्षा–जीवन का साध्य है। मानव घर, परिवार, समाज के परिवेश एवं प्रकृति के पर्यावरण में निरन्तर उठते–बैठते, चलते–फिरते, बातचीत करते स्वयं की तथा अन्य की क्रियाओं, आचरण, व्यवहार आदि के द्वारा जीवन में कुछ न कुछ आकर्षक रूप से, सहज भाव में अनायास ही सीखता रहता है, जिसे सामान्य, सहज अथवा आकस्मिक षिक्षा के नाम से अभिहित करते हैं। इसके विपरीत जब शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया जान–बूझकर एक या अनेक निश्चित स्थानों पर निश्चित समयावधि में पूर्व–निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्य–सामग्री के माध्यम से सम्पूर्ण प्रयास के साथ, एक वांछित स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के संकल्प व निश्चित उद्देश्य से पढ़कर विद्यालयी, महाविद्यालयी या विश्वविद्यालयी निश्चित शिक्षा द्वारा ज्ञानार्जन पाने की होती है, तो वह 'औपचारिक शिक्षा' के नाम से पुकारी जाती है। किन्तु ज्ञानार्जन–प्रक्रिया के यही रूप शिक्षा–विषयक अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, जिससे पुरातनकाल से ही एक तीसरी प्रक्रिया का भी प्रश्रय लिया जाता रहा है, जिसको शिक्षा–जगत में 'अनौपचारिक शिक्षा' कहकर पुकारा जाता है और जो शिक्षण–केन्द्रों के अतिरिक्त दूसरे माध्यमों से ग्रहण की जाती है। स्पष्टतः अनौपचारिक शिक्षा परम्परागत पाठशालीय शिक्षा से परे एक ऐसा सुव्यवस्थित उपक्रम है, जिसमें पाठ्य–विषय, माध्यम, समय–विभाजन, साधन–सुविधा, व्यवस्था आदि का चयन शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए परिवेश व परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

शाला प्रबन्धन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करें, जिसमें न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होगे। इसके अतिरिक्त स्कूल के वरिष्ठतम शिक्षक एवं शिक्षिका समिति के सदस्य होंगे और संस्था प्रमुख या वरिष्ठतम शिक्षक / शिक्षिकिा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति, प्रायमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या

अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंग। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

2. शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

- **सीधी जिला**: मध्यप्रदेश राजस्व के विभाजित जिलों में से एक जिला है जो 05 विकासखण्डों में विभाजित है जो निम्न है– कुशमी, मझौली, रामपुर नैकिन, सीधी व सिहावल।
- **सीधी विकासखण्ड**: सीधी जिले के 5 विकासखण्डों में से एक है, जहाँ जिला मुख्यालय भी है।
- **प्रारंभिक शिक्षा**: प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8वीं कक्षा की शिक्षा से है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है जिसे (RTE) के अन्तर्गत अनिवार्य किया गया है।
- **शिक्षा का विकास**: शिक्षा के विकास से आशय यह है कि शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में विकास।
- **शाला प्रबंधन समिति**: शाला प्रबंधन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करे।

3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्रस्तुत शोध के महत्व का निर्धारण शोध हेतु पूर्व में सुनिश्चित किये गए उददेश्यों की प्रति पूर्ति पर आधारित है। इस दृष्टि से इस शोध कार्य के निम्नलिखित महत्व हैं :–

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

4. उद्देश्य

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात करना।

5. शोध की परिकल्पनायें

1. शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।

6. शोध कार्य का परिसीमन व न्यादर्श

शोध समस्या के विस्तृत होने के कारण एवं समय की सीमा के कारण शोध क्षेत्र का परिसीमन निम्नानुसार किया गया है:–

1. भौगोलिक परिसीमनः समग्र का निर्धारण भौगोलिक सीमांकन के द्वारा ही संभव होता है। अतः इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु शोध क्षेत्र का सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च प्राथमिक (पूर्व माध्यमिक) विद्यालयों तक परिसीमित किया है।
2. विषय वस्तु का परिसीमनः शोधार्थी द्वारा द्वारा चयनित (विषय) प्रारंभिक शिक्षा हेतु संचालित विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति का शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास में योगदान से संबंधित है।

न्यादर्ष

शोध कार्य के न्यादर्श के रूप में सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड के 10 प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, अभिभावको, शिक्षको एवं संस्था प्रमुखों का चयन निम्नानुसार किया गया है–

- संस्था प्रमुख/प्राचार्य –10
- शिक्षक संख्या –20 (प्रत्येक विद्यालय से 2–2 शिक्षक)
- अभिभावक संख्या –100 (प्रत्येक विद्यालय से संबंधित 10–10 अभिभावक)
- विद्यार्थी संख्या–100

7. अध्ययन विधि: प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है–

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधि**: सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साक्षात्कार विधि**: शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

8. शोध उपकरण

शोधार्थी ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है।

9. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से कौल, लोकेश (1998)[1], तिवारी ब्रह्मश्री (2010)[2], (RTE, 2011)[3], पाठक, पी.डी. (1998)[4] एवं Gupta, V.P. and Pandey, L.N. (2003)[5] ने शोध विधि एवं प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास से सम्बन्धित कार्य किये है।

10. सीधी जिले का सामान्य परिचय

सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग $23^0 47'$ से $24^0 42'$ तक उत्तरी अक्षांश और $81^0 18'$ से $82^0 40'$ तक पूर्वी देशान्तर में स्थित है। जिले की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 वर्ग कि.मी. है। जिले के पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, सतना दक्षिण

में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, जो निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्रमांक – 01 के सन्दर्भ में : "शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

सारणी 1: शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में प्रभाव का अध्ययन

स.क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्ष मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
1.	अध्यक्ष	10	10	100.00	-	-	-	-
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	09	90.00	01	10.00	-	-
3.	सदस्य / अभिभावक	20	17	85.00	03	15.00	-	-
4.	शिक्षक	20	13	65.00	04	20.00	03	15.00
योग		60	49	81.67	8	13.33	03	5.00

विश्लेषण

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग से शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव से शत–प्रतिशत अध्यक्ष सहमत है। संस्था प्रमुख 90.00 प्रतिशत सहमत एवं 10.00 प्रतिशत आंशिक सहमत है। सदस्य / अभिभावक 85.00 प्रतिशत सहमत एवं 15.00 प्रतिशत असहमत है। शिक्षक 65.00 प्रतिशत सहमत, 20.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 15.00 प्रतिशत असहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से औसतन 81.67 प्रतिशत सहमत, 13.33 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 5.00 प्रतिशत असहमत है।

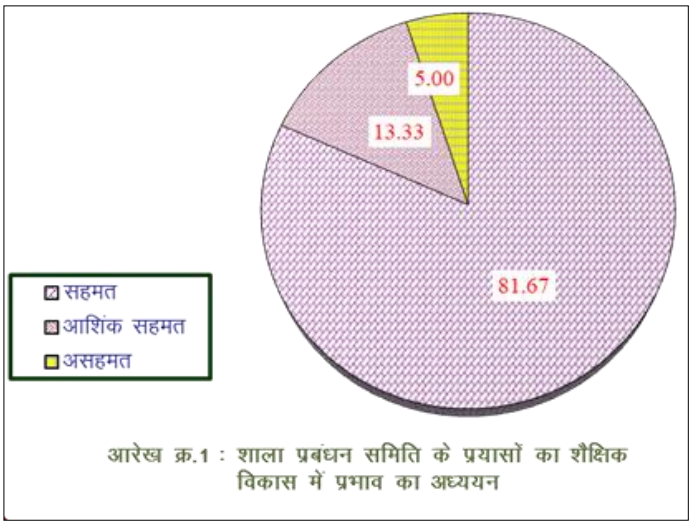

आरेख क्र.1 : शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में प्रभाव का अध्ययन

व्याख्या: अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 01 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक – 02 के सन्दर्भ में : "शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।"

सारणी 2.1: न्यादर्श में चयनित विद्यालयों में 11 से 14 आयु वर्ग के छात्र / छात्राओं के नामांकन वृद्धि का अध्ययन

सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	नामांकित छात्र / छात्राओं की संख्या		
		कुल दर्ज संख्या (VER/WER में)	नामांकित संख्या (शाला में)	नामांकन दर प्रतिशत
2014-15	10	2112	2112	100.00
2015-16	10	2235	2235	100.00
2016-17	10	2287	2287	100.00

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका क्र. 2.1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गत तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) में VER/WER में बच्चों की कुल दर्ज संख्या विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन की स्थिति में पाया गया है, जो नामांकन की सबसे उत्तम स्थिति है।

व्याख्या : गत तीन वर्षो (2014–15 से 2016–17) के ग्राम शिक्षा रजिस्टर एवं वार्ड शिक्षा रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या शत–प्रतिशत विद्यालयों में नामांकन की स्थिति में पाया जाना शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की उत्तम स्थिति को दर्शाता है।

सारणी 2.2: शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि का अध्ययन

स.क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्ष मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
1.	अध्यक्ष	10	10	100.00	-	-	-	-
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	10	100.00	-	-	-	-
3.	सदस्य / अभिभावक	20	16	80.00	03	15.00	01	5.00
4.	शिक्षक	20	17	85.00	02	10.00	01	5.00
योग		60	53	88.33	05	8.33	02	3.33

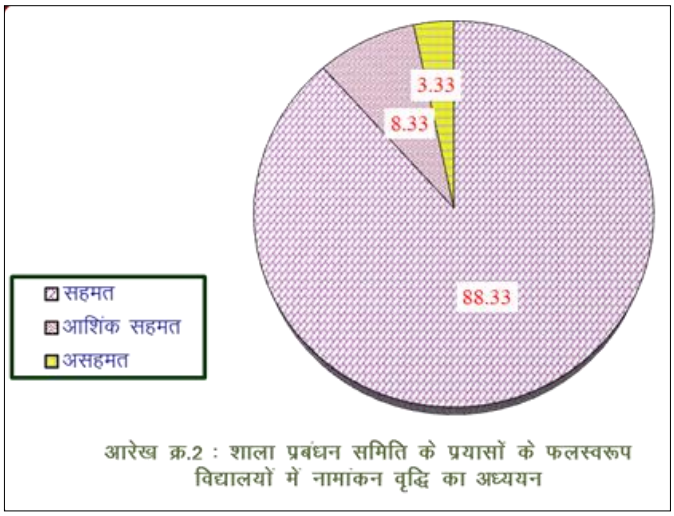

आरेख क्र.2 : शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि का अध्ययन

विश्लेषण

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन वृद्धि से शत–प्रति शत अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख सहमत है, सदस्य एवं अभिभावक 80.00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं केवल 5.00 प्रतिशत असहमत है, जबकि शिक्षक 85.00 प्रतिशत सहमत एवं 10.00 प्रतिशत आंशित सहमत और 5.00 प्रतिशत असहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से औसतन 88.33 प्रतिशत सहमत, 8.33 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 3.33 प्रतिशत असहमत है।

व्याख्या

अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों से विद्यालयों में नामांकन में सार्थक वृद्धि हुई है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 02 सत्यापित होती है।

12. निष्कर्ष

शोध अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शाला प्रबंधन का सम्बन्ध मानवीय एवं भौतिक तत्वों से होता है। मानवीय तत्वों के तहत संस्था प्रमुख शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य आते हैं। इनके आपसी प्रयासों से शाला की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाता है। भौतिक तत्वों के अन्तर्गत शाला भवन, साज–सज्जा, उपकरण सामग्री आदि आते हैं। शाला को सुचारू रूप से या व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए शाला में उपलब्ध भौतिक तत्वों एवं वातावरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं मध्यप्रदेश नियम (2011) के तहत शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसका क्रियान्वयन सीधी जिले के सीधी विकासखण्ड के विद्यालयों में सफलतापूर्वक हो रहा है।

13. सन्दर्भ ग्रंथ

1. कौल, लोकेश : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि., नई दिल्ली, 1998.
2. तिवारी ब्रह्मश्री : जन शिक्षा अधिनियम के तहत पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों की जानकारी का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन, एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, अ.प्र. सिंह वि. वि. रीवा, 2010.
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं म.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित नियम 26 मार्च 2011 (RTE).
4. पाठक, पी.डी. : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1998.
5. Gupta VP, Pandey LN. Cooperation and participation of community, village education committeeand panchayat raj Institutions in Universalisation of Primary Education (UPE) Agra, India Psychological Review. 2003; 2:69-75.